न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 44/2019
निर्णय दिनांकः– 18.02.2021

1. बंशी पुत्र फैलू जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थी

बनाम

1. कल्ली पुत्री किशना जाति मीना निवासी नवाबपुरा हाल रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. ग्यारास पत्नी किशना जाति मीना निवासी नवाबपुरा हाल रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. प्रहलादी पत्नी लड्डूलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा हाल रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. फुला पुत्री रामगोपाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा हाल रामसिंहपुरा तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
5. भजन पत्नु किशना जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. मुकेश पुत्र लड्डूलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. मनभर पुत्री रामगोपल जाति मीना निवासी नवाबपुरा हाल रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
8. मोरपाल पुत्र किशना जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
9. राजेश पुत्र लड्डूलाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
10. रमेश पुत्र राजाराम जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
11. प्रेम पुत्री राजाराम जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
12. कमली पुत्री राजाराम जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
13. रामफूल पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासी नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
14. बडोदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलीगढ जरियें शाखा प्रबंधक
15. टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक उनियारा जरियें शाखा प्रबंधक
16. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री प्रेम चन्द जैन वकील प्रार्थी
श्री हरिराजसिंह वकील अप्रार्थीगण न. 2,3,4,5,6,8,9,10,13

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्ता खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 118 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। जिसमें समस्त खातेदारान के मध्य आप समें बहामी तोर पर बटवारा हो गया था बटवारे के अनुसार उक्त वर्णित आराजी ख0न0 118 प्राथी के खातेदारी एवं हिस्से में आई है तब से प्रार्थी ही उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।

वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से अपने खातेदारी की आराजी पर ख0न0 पर ग्राम नवाबपुरा से कंवरपुरा जाने वाले रास्ते से ख0न0 115 व 116 के उत्तरी मेड पर होकर ख0न0 118 मे जाता चला आ रहा है। तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने पर

S.Re.251a.136

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

आमाद है। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि ख0न0 118 वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 115 व 116 की उत्तरी मेड के सहारे 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थी को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर आराजी ख0न0 118 वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा में आने जाने के लिए ख0न0 300 मे से 250, 296, 251, 736/173, 175 इत्यादी 115 व 116 जो कि लगभग ग्राम नवाबपुरा से 3 किमी. दुरी पर हैं जबकि ख0न0 171, 137, 129, 140, 145, 147, 122, 121, 116 मे जाना प्रस्तावित हैं जो कि ग्राम नवाबपुरा से लगभग 2 किमी. दुरी पर है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया की प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 118 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा पर आने–जाने के लिए पुर्व की भांति आराजी ख0न0 115 व 116 की उत्तरी मेड के सहारे 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है।

प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ख0न0 115 व 116 से होकर कभी नही गया । उक्त ख0नम्बरों मे होकर जाने जाने का कोई रास्ता भी मौके पर नही है व शीट मे भी नही हैं।, जिससे प्रार्थी को रास्ता दिया जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी अपने खेत पर अन्य रास्ते से आता जाता चला आ रहा था तथा वर्तमान में भी अन्य पूर्वजों के समय से बने कदीमी रास्ते से ही आता जाता चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 वाके नवाबपुरा खाता संख्या 85 ख0न0 118 रकबा 0.17 हैं. प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 118 पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार उनियारा ख0न0 115 व 116 की उत्तरी मेड सहारे सहारे रास्ता दिया जा सकता है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। जो उपयुक्त है। वर्तमान मे तारबंदी करने के कारण प्रार्थीगण को दिया जाने वाला रास्ता न्यायोचित प्रतित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ख0न0 118 में आने–जाने के लिए ख0न0 115 व 116 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे ख0न0 118 तक 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

S.Re.251a.137